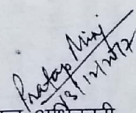


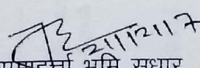
समाहरणालय, सिमडेगा ।

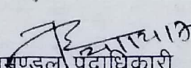
(राजस्व शाखा)

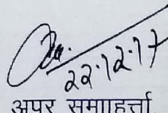
अनापत्ति प्रमाण- पत्र

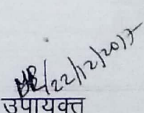
राजस्व एवं भूमि सुधार विभागीय झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या- 1817/रा0 दिनांक 30.04.2015 के आलोक में 132/ 33 KV ग्रीड सब- स्टेशन स्थापन के निमित्त भू- हस्तान्तरण की जाने वाली भूमि गैर मजरूआ **Deemed Forest** भूमि जंगल झाड़ी, जंगल सखुआ जंगल इत्यादि जो जिला - सिमडेगा अंचल- कोलेबिरा मौजा- नवाटोली थाना नं0 114 खाता सं0- 129 ,प्लॉट सं0-584 रकबा- 5.53 एकड़ एवं खाता सं0- 135 ,प्लॉट सं0-576 रकबा- 2.68 एकड़, किस्म भूमि मझौला जंगल में कुल रकबा-8.21 एकड़ सन्निहित है । तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन (**Deemed Forest**)भूमि से बाहर है , के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के लोक में प्रयोक्ता एंजेन्सी द्वारा संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त किया जाय । पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात इसके विधिवत हस्तांतरण हेतु प्रयोक्ता एंजेन्सी द्वारा गैर मजरूआ भूमि के हस्तान्तरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा तथा गैर मजरूआ जंगल झाड़ी (**Deemed Forest**) भूमि के सशुल्क/निशुल्क हस्तान्तरण / लीज बन्दोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जायेगा ।


अंचल अधिकारी,
कोलेबिरा ।


उप समाहर्ता भूमि सुधार
सदर सिमडेगा ।


अनुसंधान पदाधिकारी,
सिमडेगा ।


अपर समाहर्ता,
सिमडेगा ।


उपायुक्त
सिमडेगा ।